

‘मैं किसी को भी न्यायपालिका का नाम खराब नहीं करने दूंगा’

एनसीईआरटी की कक्षा-8 की किताब में न्यायपालिका को भ्रष्ट बताए जाने पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल काउन्सिल ऑफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई है। इस पुस्तक में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है।

अदालत ने कहा कि वह न्यायिक संस्था की साख को धूमिल करने या कमजोर करने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं देगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा, मैं किसी को भी न्यायपालिका का नाम खराब नहीं करने दूंगा। ज्ञातव्य है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी और कहा, हम इस बात से बेहद आहत हैं कि कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है

- सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह मामला उठाया तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम पहले ही इस पर संज्ञान ले चुके हैं और कार्यवाही करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका के अधिकारों और गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर ऐसी सामग्री से जो किशोरवय के बच्चों की सोच का निर्माण करती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में बार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि कक्षा-8 की सामाजिक विज्ञान की किताब, जो हाल ही में जारी की गई, में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का भी इसी प्रकार का हवाला दिया गया होता तो कोई बात नहीं थी। पर, इसमें सिर्फ न्यायपालिका को ही निशाना बनाया गया था। इससे न्यायपालिका के प्रति एकतरफा धारणा बन सकती है।
- सूत्रों ने बताया कि पाठ्य पुस्तक के उक्त अध्याय में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी, व्यवस्था संबंधी चुनौतियों की चर्चा भी की गई है।

कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। सीजेआई ने कहा, हम पहले ही इस पर संज्ञान ले चुके हैं और कार्यवाही करेंगे।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने, उन शैक्षणिक सामग्रियों में

न्यायपालिका को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उस पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का संदर्भ, यदि उचित संदर्भ और संतुलन के बिना दिया जाता है, तो यह संविधान के एक स्तंभ पर जनता के

विश्वास को कमजोर कर सकता है। सुनवाई के दौरान बार के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि संबंधित अध्याय में मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों को न्यायिक कदाचार के आरोपों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘फज़्ज़ी डिग्रीधारी जज 5 साल तक हाई कोर्ट में फैसले सुनाता रहा’

यह मामला पाकिस्तान का है, जिससे पाकिस्तान की व्यवस्था की भारी किरकिरी हुई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। पाकिस्तान का एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पांच साल तक कार्य करता रहा और फैसले सुनाता रहा, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि उसकी कानून की डिग्री फर्जी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस पीठ में वह कार्यरत था, उसने उसकी कानून की डिग्री को शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया था। इसलिए हाई कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति कानूनी तौर पर अमान्य थी।

पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार, 23 फरवरी को 116 पत्रों का विस्तृत फैसला जारी कर अपने एक जज, तारिक महमूद जहांगीरी, को पद से हटा दिया। जहांगीरी को दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले साल

- पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपी खबर के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंततोगत्वा उक्त जज, तारिक महमूद जहांगीरी को पद से हटा दिया है।
- जहांगीरी की दिसम्बर 2020 में नियुक्ति हुई थी। लॉ की फर्ज़ी डिग्री की जानकारी मिलने के बाद सितम्बर 2025 में जहांगीरी को मामले की सुनवाई करने से रोक दिया गया था।
- कराची युनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से प्राप्त मूल रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जहांगीरी की डिग्री फर्ज़ी थी।

सितंबर में उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोक दिया गया था। हाई कोर्ट का यह फैसला कराची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए मूल रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया। अदालत ने कहा कि जहांगीरी के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी थे, जिनमें किसी और की जगह परीक्षा देना

(प्रतिरूपण) और सजा से बचने की कोशिश जैसे आरोप शामिल थे। फैसले में बताया गया कि जहांगीरी ने 1988 में फर्जी नामांकन संख्या (एनरोलमेंट नंबर) का उपयोग कर परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते हुए पकड़ा गया और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रु. का घर अटैच किया

मुंबई, 25 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कथित बैंक घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई के पाली हिल स्थित आवास “अंबोड” को अटैच कर

- मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी अब तक अनिल अंबानी की 15700 करोड़ रु. से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुका है।

लिया है। अटैच की गई प्रॉपर्टी की कीमत 3,716.63 करोड़ रुपये है।

ईडी के अनुसार इससे पहले इस प्रॉपर्टी का 473.17 करोड़ रुपये का हिस्सा अटैच किया गया था। आज की गई नई कार्रवाई के साथ अनिल अंबानी की अब तक अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 15,700 करोड़ रुपये से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘केरल तो पहले से ही केरलम् है’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने पर केन्द्र सरकार की आलोचना की है, उनका कहना है कि यह नाम परिवर्तन पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा। थरूर ने राज्य के नाम परिवर्तन की आवश्यकता पर सवाल उठाए हा। उन्होंने कहा, “यह पहले ही मलयालम में केरलम था। तो अब, एक मलयालम शब्द अंग्रेजी में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इससे क्या फर्क पड़ता

- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मलयालम में पहले से ही केरल को केरलम् कहते हैं, तो अंग्रेजी में नाम बदलने की क्या जरूरत है।

है। सरकार ने हमें एक नया एम्स या कोई नया संस्थान नहीं दिया। उन्होंने हमें संघीय बजट में कोई परियोजना नहीं दी। लेकिन जब नाम बदलने की बात आती है, तो वे इसे तुरंत मंजूरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

थरूर ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में एक “छोटा भाषाई सवाल” पूछा – अब ‘केरलाइट’ और ‘केरलन’ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटने का प्लान बना रही हैं?

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को संबोधित किया और पूरे संकेत दिए कि वे शीघ्र बांग्लादेश लौटेंगी और राजनीतिक गतिविधियों में शरीक होंगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं? हालांकि यह प्रस्ताव थोड़ा असंभावित लग सकता है, लेकिन यह सवाल बांग्लादेश और भारत, दोनों देशों में सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का कारण बना हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण हैं: कुछ दिन पहले, अवामी लीग की अध्यक्ष ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद, उन्होंने ढाका में पार्टी कार्यसमिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दी। बताया जाता है कि हसीना, जो जुलाई 2024 से भारत में निर्वासन में हैं, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचित किया कि वे जल्द ही लौटने और बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की

- उनका संकेत अर्धहीन लगता है, क्योंकि उनके खिलाफ मृत्यु दण्ड का बांग्लादेश इंटरनैशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल द्वारा पारित फैसला पेंडिंग पड़ा है, ढाका में।
- पर, दूसरी ओर यह भी सच है, उनके वापस आने के संकेत से मृत प्रायः सी पड़ी उनकी पार्टी, अवामी लीग में नई जान आ गई हैं तथा जिलों में बंद पड़े ऑफिसों के ताले खुले तथा शहर में शेख हसीना के बैनर्स, पोस्टर, बंटिंग्स लगे, शेख हसीना के आगमन की खबर जनमानस में पहुंचाने के लिए
- परन्तु, बंगाल नैशनलिस्ट पार्टी के नवनियुक्त प्र.मंत्री तारिक रहमान भी शेख हसीना व उनकी पार्टी को पनपने देने के सख्त विरोधी हैं।

योजना बना रही हैं। मोहमद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, जो धार्मिक उग्रवादी जमात-ए-इस्लामी द्वारा समर्थित थी, अब सत्ता से बाहर भले ही हो, लेकिन हसीना के खिलाफ बांग्लादेश

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई मौत की सजा अभी भी लंबित है। अवामी लीग, उस समय की युनुस सरकार द्वारा उसके नेताओं के खिलाफ की गई सामूहिक गिरफ्तारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दिल्ली का नाम बदलकर इन्द्रप्रस्थ किया जाना चाहिए’

दिल्ली के एक भाजपा सांसद ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा

- केरल का नाम बदलकर केरलम् किए जाने के बाद दिल्ली में भी नाम परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है।
- चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में लिखा है कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है, इसका नाम इन्द्रप्रस्थ रखा जाए, जो इसकी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है।
- खंडेलवाल ने कहा, कि ऐतिहासिक तथ्य और पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि यह कभी पांडवों की राजधानी था जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है, इसलिए इन्द्रप्रस्थ ही भारत की राजधानी की असली पहचान है।
- खंडेलवाल ने उचित स्थान पर, जैसे पुराने किले में, पांडवों की मूर्ति स्थापित करने का सुझाव दिया।

पहचान का प्रतीक है, जबकि ‘दिल्ली’ नाम मध्यकालीन काल में प्रचलन में आया था।

खंडेलवाल ने यह भी सुझाव दिया कि पांडवों की मूर्तियों को दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर, संभवतया

पुराना किला में, स्थापित किया जाए, ताकि शहर की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित किया जा सके।

एक अलग पत्र में, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अनुरोध

किया कि दिल्ली विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करे, जिसमें दिल्ली का नाम इन्द्रप्रस्थ रखने का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई भारतीय शहरों ने अपने ऐतिहासिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी

नई दिल्ली, 25 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने के

- ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई।

मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ईडी ने कई छोटे-मोटे मामलों में ज्यादा ध्यान दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन को सात बार समन भेजा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)